

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर

प्रकरण संख्या: ०८ / 2017

दिनांक: 31/10/2017.

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का ८१५५०८८ ने रिपोर्ट (पी-14) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सम्वत 2074 में गैर सायल ५२६१२८५ पुत्र ८१२०८२८५ जाति विश्वेश साकिन २६८/२५५/१८२८८५१८ ने चक ७२४५५ के मु० नं० ४५/१७ कि० नं० रकबा ३.१४ बीघा राजकीय भूमि पर नाजायज कास्त कर अतिक्रमण किया है।

सम्बन्धित गैर सायल का राभू.रा.अधि. 1954 की धारा 22 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया जो बाद तामिल शामिल मिसल किया गया। संबन्धित गैरसायल अनुपस्थित होने के कारण उक्त प्रकरण में इकतरफा कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित गैर सायल ५२२१२१५ पुत्र श्री ८१२०८२८५ जाति विश्वेश साकिन २६८/२५५/१८२८८५१८ चक ७२४५५ मु० नं० ४५/१७ के कि० नं० रकबा ३.१४ बीघा के अतिचार करने पर राज. भू-राजस्व अधिनियम 1954 की धारा 22 के प्रावधान के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा भू-राजस्व ०.२४ का 50 गुणा रूपये ३९/- शरित से दण्डित किया जाता है। तथा मौके से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। बेदखली बाबत संबन्धित गिरदावर हल्का को लिखा जावे तथा जुर्माना वसूली बाबत हल्का पटवारी को तथा मांग कायमी बाबत टी.आर.ए. शाखा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 31/10/2017 को खुली अदालत में लिखाया जाकर सुनाया गया।

तहसीलदार(राजस्व)
तहसीलदार (राजस्व)
लूनकरनसर
लूनकरनसर